बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

पत्रांक : बु0वि0 / प0नि0कार्या0 / 2021 / 2407 दिनांक : 11 / 10 / 2021

कार्यालय ज्ञाप

सत्र 2020–21 की परीक्षाओं के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों का प्रकरण संज्ञान में लेते हुये जिलाधिकारी, झांसी ने अपने कार्यालय के पत्र सं0 – 11 / न्याय सहा0 दिनांक अक्टूबर 04, 2021 के माध्यम से पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। उक्त समिति की अंनुसंशाओं पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये :–

1. सत्र 2020–21 के स्नातक / परास्नातक पाठयक्रमों की वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी प्रायोगिकी / मौखिकी में अनुत्तीर्ण हो गये हैं, उन्हें विशेष परिस्थितियों में इस सत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. उक्त सत्र की परीक्षा से सम्बन्धित घोषित परीक्षा परिणामों में यदि कोई तकनीकी त्रुटि हो तो उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उनका निस्तारण 24 घण्टे की अवधि के अन्दर आनलाइन किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. कोविड –19 महामारी की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त सत्र की स्नातक कक्षाओं–बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0एच0एस0सी0 / बी0काम0 की तृतीय वर्ष की परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक विषय के स्थान पर दो विषयों में बैक पेपर परीक्षा दिये जाने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थियों से बैक पेपर परीक्षा शुल्क के रूप में रू0 1050 / – के स्थान पर रू0 550 / – प्रति विषय की दर से लिया जाए तथा उनकी 03 घण्टे की अवधि की परम्परागत लिखित परीक्षा करायी जाए। इस हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 तक पूरित करा लिये जाए। उक्त लिखित परीक्षा दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ कर सम्पन्न करायी जाए।

4. उक्त सत्र की परीक्षाओं से सम्बन्धित स्नातक द्वितीय वर्ष की बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0एच0एस0सी0 / बी0काम0 की कक्षाओं में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनकी तृतीय वर्ष (सत्र 2021–22) की कक्षा में इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से प्रोन्नत कर दिया जाए कि उन्हें सत्र 2021–22 की वार्षिक परीक्षाओं में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में तथा तृतीय वर्ष की परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए।

   सत्र 2021–22 में यदि द्वितीय वर्ष की परीक्षा भूतपूर्व छात्र के रूप में देते हुये किसी छात्र का बैक पेपर आ जाता है तो आगामी बैक पेपर परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

   यदि अभ्यर्थी बैक पेपर की परीक्षा में पुनः अनुत्तीर्ण हो जाता है तो तृतीय वर्ष के परीक्षाफल में Result Detained (RD) अंकित कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को द्वितीय वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में पुनः बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। इस प्रकार सम्बन्धित अभ्यर्थी को द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के समतुल्य अंक उसकी प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु प्रदान किये जाए।

5. सत्र 2020–21 की परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षाफल से जो अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं वह शुल्क रू0 500 / – के स्थान पर रू0 100 / – विश्वविद्यालय कोष में आनलाइन जमा कर आनलाइन ही

Scanned by TapScanner

अपनी ओ0एम0आर0 पत्रक तथा उससे सम्बन्धित प्रश्न पुस्तिका व उत्तर कुंजी (Answer Key) प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु वह विश्वविद्यालय के वेबसाइट के होम पेज पर बने लिंक 'Examination Services' के Sub Head (उपशीर्ष) View Answer Booklet /Apply for grievance पर क्लिक करके आवेदन कर सकता है।

6. परीक्षा समिति के सचिव ने समिति को अवगत कराया कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों को पर्यावरण अध्ययन व मानवाधिकार विषय की अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है जिसके प्राप्तांक अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा की मेरिट में नहीं जोड़े जाते है। वर्तमान में जो भी अभ्यर्थी उक्त अर्हताकारी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता उसका परीक्षा परिणाम RDMW अंकित कर रोक दिया जाता है जिसके कारण वह अगली कक्षा में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाता। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष उक्त विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है और उसे तब तक सम्बन्धित पाठयक्रम की उपाधि निर्गत नहीं की जाती है जब तक कि वह उक्त अर्हताकारी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

उक्त पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति में छात्र का परीक्षा परिणाम पर्यावरण अध्ययन व मानवाधिकार विषय में अनुत्तीर्ण अंकित करते हुये घोषित कर दिया जाए तथा उसे उपाधि तब तक प्रदान न की जाए जब तक कि वह उक्त विषय की अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यो/प्रबन्धकों से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा समिति के उक्त विनिश्चयों से अवगत होते हुये अपने महाविद्यालय के सम्बन्धित छात्रों को अपने स्तर से अवगत करा दें।

(राजबहादुर)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नांकित दैनिक समाचार पत्रों के सम्मानित सम्पादकों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को अपने दैनिक समाचदार पत्र के अगले अंक जनहित में निशुल्क प्रकाशित करने कष्ट करें:–

1. दैनिक अमर उजाला 2– दैनिक जागरण 3– दैनिक आज 4– दैनिक स्वदेश 5– हिन्दुस्तान।

(राजबहादुर)
परीक्षा नियंत्रक

1. प्राचार्य/प्रबन्धक/निदेशक,विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय/संस्थान।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
3. डॉ0 जे0पी0 यादव, प्रभारी कोडिंग।
4. डॉ0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को इस आशय से प्रेषित कि प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।

परीक्षा नियंत्रक

Scanned by TapScanner